राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/2021–22 / 17241-54 दिनांक:– 06/07/2021

आदेश

विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की पात्रता के नियम व शर्तों में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

वर्तमान नियम	नवीन नियम
1 जनजाति छात्रावास/ आवासीय विद्यालय से 5 किमी परिधि से दूर के ही जनजाति छात्र– छात्राएं आवेदन के पात्र होंगे।	इस शर्त को विलोपित किया जाता है।
2 छात्रावासों में प्रवेश नियम के तहत बनाये गये सभी आश्रम छात्रावासों में सर्वप्रथम उन्ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो कि गत वर्ष उसी छात्रावास में प्रवेश पाये हुए थे और उत्तीर्ण रहे। यदि स्थान रिक्त रहे तो :– (अ) उच्च माध्यमिक विद्यालय होने की स्थिति में उन छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जावे, जिन्होने गत वर्ष किसी आश्रम छात्रावास में रह कर कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अब उस स्थान पर आगे अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नही है। (ब) माध्यमिक विद्यालय होने की स्थिति में उन छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जावे, जिन्होने गत वर्ष किसी आश्रम छात्रावास में रहकर कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण की हो तथा अब उस स्थान पर आगे अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। (स) यदि आश्रम छात्रावास में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के अलावा कोई छात्र/छात्रा किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करते है तो उसकी वरीयता पिछले कक्षा में प्राप्तांको के आधार पर बनाई जा सकेगी। (द) सभी स्तरों के आश्रम छात्रावासों में प्रवेश उसी जिले के जनजाति छात्र/ छात्राओं तक ही सीमित रहेगा। (य) छात्रावास में प्रवेश उसके लिए स्वीकृत क्षमता के अनुसार कमंश बडी कक्षा से छोटी कक्षा तक दिया जावे यथा पहले 12, 11,10,9 इसी कम में रिक्त स्थान होने तक प्रवेश दिया जावे।	उक्त नियम के स्थान पर कक्षा 12 व कक्षा 11 को मिलाकर 40 प्रतिशत, कक्षा 10 व कक्षा 9 को मिलाकर 40 प्रतिशत एवं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिये 20 प्रतिशत जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्त तीनों केटेगरी में 5 प्रतिशत सीटें विकलांग एवं अनाथ (जिनके माता–पिता दोनो की मृत्यु हो गयी हैं) विद्यार्थियों हेतु आरक्षित रहेगी। विकलांग/अनाथ विद्यार्थी नहीं मिलने पर अन्य जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
(र) छात्रावास में प्रवेश मेरिट के आधार पर वरीयता कम से दिया जायेगा।	कक्षा 6 के रिक्त स्थान पर प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कर वरियता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 9 में प्रवेश के लिये कक्षा 8 एवं कक्षा 11 में प्रवेश के लिये कक्षा 10 के बोर्ड परिणाम के प्राप्तांक के आधार पर रिक्त सीटों पर वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
3 जिनके माता–पिता/अभिभावक आयकरदाता नही हो।	उन सभी छात्र–छात्राओं को जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये तक है को छात्रावास में प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा।

4 सभी स्तरों के आश्रम छात्रावासों में प्रवेश उसी जिले के जनजाति छात्र/छात्राओं तक ही सीमित रहेगा।	उक्त नियम के स्थान पर अनुसूचित क्षेत्र के छात्रावासों में अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी एवं सहरिया क्षेत्र में स्थान रिक्त रहने पर उसी जिले के अन्य जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। बाकी के क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में किसी भी जिले में रहने वाले छात्र/छात्रा प्रवेश ले सकेंगे।
5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या समकक्ष के अतिरिक्त अन्य राजकीय कर्मियों के छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।	ऐसे सरकारी कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/आश्रित भी छात्रावासों में प्रवेश हेतु पात्र होगे, जो लेवल–11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
6 छात्र/छात्राएँ अधिकतम तीन विद्यालय एवं छात्रावास हेतु आवेदन करने के पात्र होगे।	विद्यालय एवं छात्रावास हेतु कोई भी छात्र/छात्रा तीन की जगह अधिकतम पांच विद्यालय एवं छात्रावास में आवेदन कर सकेगा।
7 ऑनलाईन वरीयता प्रवेश सूची जारी कर छात्रों को छात्रावास/ आवासीय विद्यालय आंवटन की प्रथम व द्वितीय सूची जारी करना।	आवासीय विद्यालय हेतु प्रथम प्रवेश सूची दिनांक 10 जून तक व द्वितीय प्रवेश सूची दिनांक 20 जुलाई तक जारी की जायेगी। **(यह व्यवस्था शिक्षा सत्र 2022–23 से लागू होगी)**

आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में प्रवेश के अन्य नियम पूर्व की भांति यथावत रहेगें।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
आयुक्त

क्रमांक – एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/2021–22 /17241–54 दिनांक:–06/07/2021

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. अति. आयुक्त (तृतीय/चतुर्थ) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर/जोधपुर।

सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद..।
2. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, समस्त।
3. अति. कलक्टर एवं पदेन परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद, बारां।
4. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा।
5. परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
6. प्रकोष्ठाधिकारी, माड़ा/सहरिया प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
7. प्रधानाचार्य, मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल..।
8. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल...।
9. प्रधानाचार्य, जनजाति आवासीय विद्यालय...।

आयुक्त